Page No.2/3 Chapter 3

Class - VIII
Sub: SST - (भारत में ब्रिटिश प्रशासन का विकास)

(ख). बंबई तथा मद्रास प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों को गवर्नर जनरल के अधीन नहीं लाया गया था। प्रेसिडेंसी के गवर्नर आपातकाल के बहाने स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकते थे।

(ग)- रेग्युलेटिंग एक्ट में सर्वोच्च न्यायालय तथा गवर्नर जनरल एवं उसकी समिति के शक्तियों का स्पष्टीकरण नहीं किया गया था।

प्रश्न (ख) भारत में ब्रिटिश न्यायिक प्रणाली के प्रमुख तत्वों का वर्णन कीजिए।

उत्तर:- ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में कहने को तो न्याय समानता के नियम पर आधारित थी। जाति, धर्म एवं रंगभेद का भेदभाव मिटा दिये गये थे किंतु यूरोपीय लोगों के मुकदमें ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा पृथक अदालतों में सुने जाते थे जहाँ समानता के नियम की धज्जियाँ उड़ती थी। भारतीय मूल के लोगों की अनदेखी होती थी। सर्वोच्च न्यायालय पर गवर्नर जनरल का दबाव भी था जो शुद्ध न्याय में बाधक थी।

प्रश्न. (ग) चार्टर एक्ट के प्रमुख तत्व क्या थे?

उत्तर:(क) चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधान में सर्वोच्च न्यायालय में जो मामले भारतीय एवं ब्रिटिश के संयुक्त होते थे वहाँ ब्रिटिशों की सुनवाई में प्राथमिकता थी।

(ख)- स्थानीय सरकारों को कर लगाने एवं व्यक्तियों को दंडित करने का अधिकार था जिसका दुरुपयोग होता था।